**न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।**

**पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय**

**ए0बी0पी0– 482 / 2026**

**(चिकसौरा थाना कांड संख्या– 65 / 2026)**

अलखदेव प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार।

| Date of Order | Order with the signature of the Court | Office action taken |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | आवेदकगण 1. बन्टी कुमार 2. जगदीश यादव 3. चंदन कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 126(2), 115(2), 118(1), 352, 351(2), 109(1), 3(5) बी0 एन0 एस0 के तहत चिकसौरा थाना कांड संख्या– 65 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। **आवेदक अलखदेव प्रसाद की ओर से एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना करते हैं कि इनका अग्रिम जमानत आवेदन बिना प्रचालित किये हुए वापस करने का आदेश दिया जाए।**<br><br>आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थीगण उपर के किसी भी सक्षम न्यायालय में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है नहीं लंबित है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं तथा कोई घटना नहीं किये हैं। प्रार्थीगण घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था। प्रार्थीगण घटना के समय किसी आवश्यक कार्य से पटना गये थे। प्रार्थीगण को झूठा मुकदमा में फंसाया गया है जो सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। आवेदकगण 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।<br><br>विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।<br><br>सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि दिनाक 21.04.2026 को मोहन कुमार का भाई दिलीप कुमार दवा लाने के लिए योगीपुर बाजार गया था। जब वापस नहीं लौटा तो मोहन बगीचा बड़ा पुल पर अलखदेव प्रसाद, बन्टी कुमार उसके भाई को रोका ओर गाली–गलौज मारपीट करने लगा उसी दरमियान अलखदेव प्रसाद ने खन्ती से सर के दाहिने तरफ वार किया और उसके भाई का सर फट गया। किसी तरह उसका भाई अपने आप को संभाला और भागा उसी रास्ते में आगे जगदीश यादव, चंदन कुमार दोनों ने उसके भाई को पकड़कर जगदीश यादव लाठी से एवं चंदन कुमार लात मुक्का से मारने लगा। इसी बीच हल्ला सुनकर सुचक और उसके ग्रामीण बचाव के लिए दौड़े तथा देखा कि उसका भाई दिलीप कुमार जमीन पर अचेत अवस्था में गिरा हुआ था तथा खुन से लथपथ था जिसके बाद वो लोग भाग गये तथा सुचक अपने भाई दिलीप कुमार को अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा इलाज कराने के लिए ले गए। 21.04.2026 को अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा ने उसके भाई को पावापुरी मेडिकल अस्पताल में रेफर कर दिया। अपने भाई के इलाज में व्यस्त रहने के कारण दिनांक 23.04.2026 को थाना पर आवेदन दिया।<br>सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण का काण्ड दैनिकी में आपराधिक इतिहास नहीं दिया गया है। इस याचिका के पारा 3 के तहत आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध चोरी और मारपीट का सामान्य एवं ओमनीबस आरोप है। ज़ख्म प्रतिवेदन में ज़ख्म की प्रकृति सामान्य पायी गयी है।<br>अतः आवेदकों 1. बन्टी कुमार 2. जगदीश यादव 3. चंदन कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है | |

**लगातार...**

कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदकगण के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे 10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है तथा **अभियुक्त अलखदेव प्रसाद का अग्रिम जमानत आवेदन बिना प्रचालित किये हुए वापस करने का आदेश दिया जाता है।**

(लेखापित)

**अपर सत्र न्यायाधीश–V,**
**हिलसा (नालंदा)।**

| | |
|---|---|
| Date of Order | 13.07.2026 |
| Date of Reserving Order | |
| Uploading date | 15.07.2026 |
| Uploaded by | MD GUFRAN (STENOGRAPHER) |